

प्रेषक,

श्रवण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
लखनऊ

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 23 जून, 2015

विषय- 13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुतियों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-2014 एवं 2014-15 में प्राप्त सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान के रूप में नागर निकायों को स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-2014 एवं 2014-15 में समस्त नागर निकायों को सामान्य बुनियादी एवं सामान्य निष्पादन अनुदान की स्वीकृत धनराशि में से अप्रयुक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31 मार्च, 2016 तक इस शर्त के अधीन बढ़ाई जाती है कि समस्त नागर निकायों द्वारा प्रत्येक दशा में अप्रयुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त अवधि से आगे की उपयोगिता अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी।

3. निर्धारित अवधि में उक्त धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में कर लिया जाय। बढ़ायी जाने वाली समय-सीमा के अन्तर्गत धनराशि के पूर्ण उपयोग की समय-समय पर समीक्षा की जाती रहे, जिससे कोई भी धनराशि किसी भी कारण से अप्रयुक्त न रह जाय।

4. प्रकरण में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

भवदीय,

(श्रवण कुमार सिंह)
उप सचिव,

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी(द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय), उ०प्र०
2. समस्त कोषाधिकारी(द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय), उ०प्र०
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित अधि. अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत, उ०प्र०।
5. वित्त संसाधन(वित्त आयोग) अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1
7. गार्ड फाइल/वेब मास्टर, वेब साइट पर लोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
उप सचिव।